

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला  
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :-221/12

संस्थापन दिनांक:-18/05/12

फाईलिंग नं. 233504000182012

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

रवि पिता बसंत निवारे, उम्र 23 वर्ष,  
निवासी बोड़खी नाका आमला,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- ( नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 28.08.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 18.05.2012 को समय 10:45 बजे बोड़खी नाका बोड़खी के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना कियी मय अनुज्ञापत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदण्ड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध एक लोहे का छुरा अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 18.05.2012 को सहायक उप निरीक्षक एस.एल. साहू को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बोड़खी नाका के पास एक व्यक्ति हाथ में छुरा लिये लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त लोहे का छुरा लिये आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था जिससे लोग डर रहे थे जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। अभियुक्त द्वारा छुरा रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से एक लोहे का छुरा जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 178/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.05.2012 को समय 10:45 बजे बोड़खी नाका बोड़खी के पास सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के विनिर्दिष्ट मापदण्ड से अधिक लंबाई चौड़ाई का एक लोहे का छुरा रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 एस.एल. साहू (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 18.05.2012 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ बोड़खी नाका पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे का छुरा लहराते मिला। अभियुक्त द्वारा छुरा रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का छुरा जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 178/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी।

6 लक्ष्मण (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर एस.एल. साहू (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 एस.एल. साहू (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ के साथ मौके पर जाना तथा अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया जाना। तत्पश्चात उसे गिरफ्तार किया जाना एवं थाना वापस आकर अपराध क्र. 178/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तब वहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे परंतु उसने किसी से पूछताछ नहीं की। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) में जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की गयी है इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है एवं जप्ती पत्रक पर नमूना सील भी नहीं लगायी गयी है।

9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती का समय 10:45 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में गिरफ्तारी का समय 10:50 बजे लेख है। मात्र पांच मिनट में अभियुक्त से आयुध जप्त करना, उसकी नापजोप कर मौके पर सीलबंद किया जाना, तत्पश्चात प्रपत्र तैयार करना एवं उसके पश्चात अभियुक्त का गिरफ्तारी पत्रक तैयार करना अत्यन्त ही अस्वाभाविक प्रतीत होता है। अभिलेख पर रोजनामचा सान्हा वापसी एवं रवानगी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्तशुदा आयुध की नाप किस चीज से की गयी इसके संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण विवेचक साक्षी एस.एल. साहू (अ.सा.-1) के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने 18.05.2012 को समय 10:45 बजे बोड़खी नाका बोड़खी के पास सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के विनिर्दिष्ट मापदण्ड से अधिक लंबाई चौड़ाई का एक लोहे का छुरा रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त रवि को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का छुरा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)